भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 161
उत्तर देने की तारीख 01.12.2025

पश्चिमी ओडिशा की लुप्तप्राय लोक कलाओं का संरक्षण

161. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या सरकार ने पश्चिमी ओडिशा की लुप्तप्राय लोक कलाओं जैसे डंडा नाटा, धाप नृत्य और घुबुकुडु नाच की स्थिति पर कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने कला रूपों की पहचान की गई है जिन्हें तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार का बलांगीर, सोनपुर और बरगढ़ जैसे जिलों के कलाकारों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण सहायता और डिजिटल दस्तावेजीकरण प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) क्या सरकार द्वारा इन कला परंपराओं की रक्षा के लिए एक लक्षित "ओडिशा लोक विरासत पुनरुद्धार कार्यक्रम" शुरू करने पर विचार करने की संभावना है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): इस संबंध में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (ईजेडसीसी), कोलकाता (संस्कृति मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन) ने ओडिशा की अमूर्त लोक और जनजातीय सांस्कृतिक धरोहर को प्रलेखित और परिरक्षित करने हेतु विलुप्त लोक एवं जनजातीय कला उत्थान महोत्सव तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत धाप नृत्य और घुबुकुडु नाच के विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

(ग) और (घ): ईजेडसीसी द्वारा ओडिशा तथा इसके बलांगीर, सोनपुर और बरगढ़ जिलों सहित अपने सदस्य राज्यों के लोक कलाकारों को उनके द्वारा आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों एवं कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है, जिसके लिए उन्हें मानदेय, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, भोजन और आवास, स्थानीय परिवहन आदि का भुगतान किया जाता है।

जेडसीसी की गुरु-शिष्य परंपरा स्कीम के अंतर्गत, शिष्यों को अनुभवी कलाकारों द्वारा दुर्लभ और लुप्तप्राय कला रूपों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उस क्षेत्र में ऐसे कला रूपों की पहचान की जाती है और गुरुकुल परंपरा में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए प्रख्यात कलाकारों का चयन किया जाता है। एक कला रूप के लिए 6 माह से लेकर अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए प्रत्येक गुरु के लिए 7,500/- रु., संगतकार के लिए 3,750/- रु. और प्रत्येक शिष्य के लिए 1,500/- रु. का मासिक पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। गुरुओं के नामों की अनुशंसा राज्य के सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा की जाती है।

सभी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संगठन) द्वारा भारत की विविधतापूर्ण सांस्कृतिक धरोहर को परिरक्षित और संवर्धित करने हेतु कलाकारों का डिजिटल प्रलेखन सक्रिय रूप से किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से, भावी संदर्भ और प्रसार के लिए डिजिटल प्रारूपों में पारंपरिक, लोक और जनजातीय कलाकारों के विस्तृत रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं। इस प्रलेखन से न केवल कलाकारों तक बेहतर पहुँच, उनकी पहचान और सहायता सुनिश्चित होती है, बल्कि यह अनुसंधान और सांस्कृतिक संस्थाओं के लिए प्रामाणिक स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। इस प्रयास से अलग-अलग क्षेत्रों में मौजूद अमूर्त सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण में सहायता मिलती है।

(ड.): ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*****